

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/17-18/10004-09 दिनांक : 27/05/2020

उपायुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

प्रतापगढ़।

विषय : जिला प्रतापगढ़ में आधुनिक Multipurpose indoor hall निर्माण की शेष राशि की स्वीकृति।

प्रसंग : जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ का अर्द्धशासकीय पत्रांक अ.शा. पत्र क्रमांक एफ प्रताप /2019-20/405 दिनांक 11.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक 5282 93 दिनांक 23.02.2017 द्वारा जिला प्रतापगढ़ में आधुनिक Multipurpose indoor hall निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 630.82 लाख प्रदान की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग नियुक्त किया गया। इस कार्य पर अब तक उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार राशि हस्तान्तरित की गई:-

आयुक्तालय का पत्रांक /दिनांक	हस्तान्तरित राशि (राशि लाखों में)
5282-93 / 23.02.2017	500.00
7654-62 / 07.03.2018	26.54
योग	526.54

अधिशोषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड तृतीय प्रतापगढ़ के पत्रांक 815 दिनांक 04.11.2019 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु कुल राशि रूपये 601.15 लाख का व्यय दर्शाते हुए शेष राशि की मांग की गई है एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा भी उक्त कार्य की शेष राशि हस्तान्तरण हेतु अर्द्धशासकीय पत्रांक अ.शा. पत्र क्रमांक: एफ-प्रताप/2019-20/405 दिनांक 11.02.2020 प्राप्त हुआ है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त राशि के विरुद्ध आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध राशि रूपये 510.30 लाख में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़ को राशि रूपये 74.61 लाख (601.15 - 526.54 लाख) हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3rd party inspection Report प्राप्त होने पर यदि कमियां पाई जाती हैं तो पायी गयी कमियों को ठीक करने के पश्चात एवं मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से कार्य पूर्ण करने की शर्त पर कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग को नियमानुसार शेष राशि हस्तान्तरण करावे।

- sd.
(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/17-18/

दिनांक :

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण/अधिशोषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त/खण्ड तृतीय, प्रतापगढ़।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओं का विकास हेतु प्राप्त राशि में से राशि रु. 74.61 लाख (601.15 - 526.54 लाख) उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ़ को हस्तान्तरित करावे।
6. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294- 2428721
Com.Website www.tad.rajasthan.gov.in ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in